

v 859594

दिनांक- 14/08/19 वष 19.....

किससे प्राप्त हुआ मो० कु० काम अहमद, पिता -  
मो० उ० मान गनी, घर- इलाहाबाद (म० अ० अ०)  
किससे पैसे 25000

ला० के० का 25000 रु० गमांकुग मु० रु० का० जमा

रु० / पैसे  
25000 = 0

नकद.....

सहाय के रूप में.....

कुल..... 25000 = 0

मो० 424/स हजा रकम का मात्र  
(केवल..... रूप में..... पैसे)



प्राप्त करनेवाला पदाधिकारी।

22/4/19

निर्देशक  
अ० अ०

## अनुरोध पत्र

लोकसभा चुनाव, 2014 नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सम्पर्क विवरणी

1. लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या :- 11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ।
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम :- श्री० इकबाल अहमद
3. लिंग :- पुरुष
4. उम्र :- 33 वर्ष
5. दल संबद्धता :-  
(राजनीतिक दल से भिन्न अभ्यर्थी समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) के लिये निर्दलीय अंकित करें )
6. शहर/जन्म स्थल :- ग्राम इटवा, हुसैनगंज, कटिहार  
कृपया सम्पर्क विवरणी नीचे दर्ज करें
7. पूर्ण पता :- पो०-हुसैनगंज, परवड-हुसैनगंज, जिला-कटिहार
8. लैण्डलाइन फोन नं० :-
9. मोबाईल नं० :- 9430523668
10. ई-मेल का पता :-  
(यदि हो) शून्य
11. वेबसाईट का पता  
(यदि हो) शून्य

प्रश्न 2क  
(नियम 4 देखिए)  
नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिये निर्वाचन  
नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें  
भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के  
रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम ..... पिता/माता/पति का नाम .....

..... उसका डाक पता .....

उसका नाम ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा  
निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर  
प्रविष्ट है।

मेरा नाम ..... है जो .....  
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक  
नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है।

तारीख :

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

37/11 Kothkar  
PC 2014  
25/11/14  
1:45 PM

भाग - 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अम्बथी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 11-करिहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अम्बथी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं ।

अम्बथी का नाम श्री. इकबाल अहमद

पिता/माता/भक्ति का नाम श्री. उममान रानी

उसका डाक पता श्री. 5247, पो-एम7031, थाना इंदौरा जिला करिहा

उसका नाम 11-करिहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 16 में क्रम संख्यांक 753 पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	63-करिहा	16	459	नियामत खान	नियामत खान	5/4/14
2	63-करिहा	16	685 683	अ. काशिम	अ. काशिम	5/4/14
3	63-करिहा	16	541	सजाद अली	सजाद अली	5/4/14
4	63-करिहा	16	240	आदुल मदीन	आदुल मदीन	5/4/14
5	63-करिहा	16	251	मुस्तफा	मुस्तफा	5/4/14
6	63-करिहा	16	1129	सफी कुर्रन एम	सफी कुर्रन एम	5/4/14
7	63-करिहा	16	754	श्री. उमर फारुका	श्री. उमर फारुका	5/4/14
8	63-करिहा	5	101	सगीर कुमार अहमद	सगीर कुमार अहमद	5/4/14
9	63-करिहा	5	141	वासुकी नाथ अहमद	वासुकी नाथ अहमद	5/4/14
10	63-करिहा	16	338	नुई आलम	नुई आलम	5/4/14

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

मैं भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 33 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में समाजवादी जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (I) 23-श्री (II) 95 (III) समाजवादी जनता पार्टी है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम उपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

\* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ( काशी ) \*\*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो काशी राज्य के उस राज्य में के काशी (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\* नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

प्रो. सुभाष अग्रवाल

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

तारीख 5/4/14

\*\*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

\*\*\*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

कृपया ध्यान दें - " मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल " से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग - 3 "क"  
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

व्यक्ति अभ्यर्थी को :-

- (I) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -  
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या  
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,  
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- (II) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,  
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित  
किया गया है

हैं/नहीं

यदि उत्तर हाँ में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ..... लाइव नहीं
- (II) पुलिस थाना (थाने) ..... लाइव नहीं
- जिला (जिले) ..... लाइव नहीं
- राज्य ..... लाइव नहीं
- (III) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,  
जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ..... लाइव नहीं
- (IV) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) ..... लाइव नहीं
- (V) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनोंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ..... लाइव नहीं
- (VI) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें  
..... लाइव नहीं
- (VII) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... लाइव नहीं
- (VIII) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपील) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे :  
हाँ / नहीं ..... लाइव नहीं

(IX) फाइल की गई अपील (अपील) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टता एवं तिथि :- लागू नहीं

(X) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपील) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे - लागू नहीं

(XI) क्या उक्त अपील (अपील) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लम्बित हैं लागू नहीं

(XII) यदि उक्त अपील (अपील) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति लागू नहीं

स्थान - करिस्त

तारीख - 5/4/14

मि० इकबाल अहमद

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग - 4  
(रिटर्निंग आफिसर द्वारा मरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० 37/11- कटिहार वंखड़ी निर्वानन क्षेत्र  
यह नामनिर्देशन सूत्र/मेरे कार्यालय में 05.04.2014 (तारीख) को 01.05PM (बजे)  
अभ्यर्थी/प्रस्थानिक द्वारा परिदत्त किया गया ।

स्थान :- कटिहार

तारीख :- 05.04.14

\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

  
Assistant Returning Officer  
(रिटर्निंग आफिसर)  
11-Katihar-P.C.

भाग - 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय  
मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है  
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ । :-

स्थान :-

तारीख :-

(रिटर्निंग आफिसर)

चिह्न



शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क))

(संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं श्री. मोह. इकबाल अहमद जो संसदीय निर्वाचन में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप निर्देशित हुआ हूँ \* ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा ।

श्री. मोह. इकबाल अहमद

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और

स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

\* जो लागू न हो उसे काट दें ।

श्री/श्रीमती श्री. मोह. इकबाल अहमद ने आज  
दिनांक 05 माह 04 2014 को निर्वाचनी पदाह्व की (स्थान)  
पर 2.10 p.m बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया ।

05/11/14  
Assistant Returning Officer  
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम पदनाम और मुहर ।



"प्ररूप 26"  
(नियम 4क देखिए)

86  
05.04.2014



बिहार  
JUDICIAL

1.4.2014

BIHAR

076 3726960

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 11-करिहा लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए स्टैनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं श्री इकबाल अहमद \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उममात गनी  
आयु 31 वर्ष, जो 21/11-82 को पौ-एमएलए युएलए-एमएलए  
चाना-इंदौरा, जिला-करिहा

ARIUN KUMAR SHARMA  
NOTARY  
Katihar (Bihar)

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/\*\* एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 13, करिहा विधानसभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 16 के क्रम सं 753 पर प्रतिष्ठ है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9430523668 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) \_\_\_\_\_ है।

(4) रथाई-लेखा संख्याक (पिन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :



श्री इकबाल अहमद

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	2104	2104	2104
2.	पति या पत्नी <i>हना अंशकारी</i>	2104	2104	2104
3.	आश्रित-1 2104	2104	2104	2104
4.	आश्रित-2 2104	2104	2104	2104
5.	आश्रित-3 2104	2104	2104	2104

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए

NOTARY PUBLIC

NOTARY

Katihar (Bihar)

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	① 5510121 न्यायालय संख्या 119/12 थाना-कटिहार-10811 ② 5510121 न्यायालय संख्या 39/06 थाना-कटिहार-10811
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	① 420, 468, 471, 750 ट. वी. ② 144, 147, 341, 323, 353, 332, 427, 750-ट. वी.
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	① श्री. वी. वी. राय. न्यायालय संख्या 20/444/07 श्री. वी. वी. राय. न्यायालय संख्या 3563/12 ② श्री. वी. वी. राय. न्यायालय संख्या 20/444/07 श्री. वी. वी. राय. न्यायालय संख्या 112/106/12-2-2007
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	① श्री. वी. वी. राय. न्यायालय संख्या 20/444/07 ② श्री. वी. वी. राय. न्यायालय संख्या 20/444/07
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	① 27/10/09 ② 27/10/2009
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक दी गई है/हैं	नहीं

श्री. इकबाल अहमद

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है  
[पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	२१/०५
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	२१/०५
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलें)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्योरे	२१/०५

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्योरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	२१/०५
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	२१/०५
(ग)	अधिराजित दंड	२१/०५
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्योरे और वर्तमान प्रास्थिति	२१/०५

ॐ  
मो २१/०५/२०२४

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने है।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन सादीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3	
(i)	हाथ में नकदी	25,000	21-21	21-21	21-21	21-21	
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	5/36 14/01/2011 4/2011 2011/20 30574457- 999 RS-1000/- Canara Bank 4/2011 2011/20 0017611010- 18853 RS-2500/-	21-21	21-21	21-21	21-21	21-21
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यारे और रकम	21-21	21-21	21-21	21-21	21-21	

मौ. इकबाल अहमद





(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वितीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	रु. 27 BR-396 9773 मु. 35000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	मूल्यांकन बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	363111/1000 105000	603111/1000 मूल्य 175000/- 2183111/1000 मूल्य 90000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	168500/-	184000/-	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	भौ. 31-जगमगपु. ख. 456 ख. 54	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	13.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वायं संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	28/06/2013	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	68000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

श्री ० इकबाल अहमद

	विनिधान					
(iii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	750000=	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	वैश्विक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	21-1/2	21-1/2	21-1/2	
स्वअजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	
विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	21-1/2	
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	21-1/2	पंजीकृत 2 पंजीकृत	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21-1/2	911 3/4	21-1/2	21-1/2	21-1/2
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	21-1/2	21-1/2	21-1/2
स्वअजित संपत्ति की दशा में	21-1/2		21-1/2	21-1/2	21-1/2	

5  
मां इकलाल अहमद

	क्रय की तारीख	24-10-2007 12-8-2013	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	24-10-2007	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान		₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	24-10-2007	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)		₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	75000/-	24-10-2007	₹ 00/-	₹ 00/-

(b) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	कोई अन्य दायित्व	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	दायित्वों का कुल योग	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-
	आय-कर शोध्य	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-	₹ 00/-

5/10/2013



	घनकर शोध	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25
	सेवाकर शोध	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25
	विक्रयकर शोध	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25
	कोई अन्य शोध	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25

AKHIL KUMAR SHARMA

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं व्यापक

(ख) पति या पत्नी व्यवसाय पति

(10) भेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

आर्य समाज उर्दू, मद्रास टाकल होश चोपी

बौद्ध-विद्या मद्रास शिवा बौद्ध (427) वर्ष: 2007

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

मौ इकबाल अहमद

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं मो० इकबाल अहमद				
2	डाक का पता	ग्राम-5247, पो०-हसनगंज प्रवाह-हसनगंज, जिला-काठियावाड़				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	11-काठियावाड़ - बिहार				
4	उच्च राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	02				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से गिनते)	2104				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	2104				
7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	2104	2104	2104		
	(ख) पति या पत्नी	2104	2104	2104		
	(ग) आश्रित	2104	2104	2104		
	आश्रितियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आश्रितियां (कुल मूल्य)	168500	184000	2104	2104	2104
ख	स्थावर आश्रितियां	75000	2400000	2104	2104	2104

मो० इकबाल अहमद

I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	शून्य				
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : आर्य समाज उच्च शिक्षण संस्थान, दिल्ली बी.ए. (विशेष) महाविद्यालय, दिल्ली (पठन) वर्ष 2007 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

ARUN KUMAR SHARMA  
NOTARY  
Patna (Bihar)



श्री २००७/०८ अर्हता

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-



(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से गिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे अभिनों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से गिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

को सत्यापित किया गया।  
 Department: Ad. Legal Officer जो इकनाल अरमद  
 Witness: Ar. 20/14  
 A true and correct copy is affirmed and Declared by me  
 अभिसाक्षी

Identified by  
Arun Kumar Sharma  
5/4/14  
1404/05

ARUN KUMAR SHARMA

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के सम्मक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के सम्मक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9430523268  
 मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है 21017  
 एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है 21017

जो इकनाल अरमद

NOTICE TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY THE PARTY  
 [See paragraphs 13(b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols  
 (Reservation and Allotment) Order 1968]

The Returning Officer for the

**11, Katihar**, Constituency

Subject: General Election to House of People (Lok Sabha) from **11, Katihar** ..... (Name of the Constituency) in  
 ..... ~~Behar~~ (State/Territory) - setting up of the candidate.

In pursuance of paragraphs 13(b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf  
 of SAMAJWADI JANATA PARTY (RASHTRIVYA)

- (i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate, at the ensuing general election from this constituency.

Name of the Constituency	Name of the approved candidate	Father's/ mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate	Father's/ mother's/ Husband's name of substitute	Postal address of substitute
--------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	------------------------------


1	2	3	4	5	6	7
11, Katihar	Md. Iqbal Ahmad	Md. Usman Gani	At - Etwa P.O. Hasangany Dist - Katihar	—	—	—

Contd.... 2/

\*2 The notice in Form 'B' given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri ..... as party's approved candidate/Shri/Smt./Sushri ..... is hereby rescinded.

3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Yours faithfully,

  
( **RAVINDER MANCHANDA** )  
**SECRETARY GENERAL**  
Samajwadi Janata Party (Rashtriya),  
Narendran Niketan, Indraprastha Estate,  
New Delhi - 110 002

**Samajwadi Janata Party (Rashtriya)**  
**Narendran Niketan, I. P. Estate,**  
**New Delhi-110002**

(Seal of the Party)

Place: New Delhi  
Date: 28/03/14

\* Score off, if not applicable

N.B.

1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nomination.
2. Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.
4. Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.



"FORM - A"

Communication with regard to Authorised Persons to intimate names of Candidates set up by recognised NATIONAL OR STATE Political party or REGISTERED UN-RECOGNISED political party.

(See paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.)

To

1. The Chief Electoral Officer  
..... (State/Union Territory)
2. The Returning Officer for the  
..... 11, Katihar ..... Constituency.

Subject: General Election to House of People (Lok Sabha) from  
Bihar (State/Union Territory - Allotment of Symbols  
- Authorisation of persons to intimate names of candidates.




Sir,

In pursuance of paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby communicate that the following person (s) has/have been authorised by the SAMAJWADI JANATA PARTY (RASHTRIYA), which is Registered Un-recognised Party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.


Name of person	Name of office held	District(s) area(s) constituency/ Constituencies in respect of which he has been authorised
1	2	3
RAVINDER MANCHANDA	SECRETARY GENERAL SAMAJWADI JANATA PARTY (RASHTRIYA)	ALL OVER INDIA

2. The specimen signatures of the above mentioned person(s) so authorised are given below:

1. Specimen signatures of, **Shri Ravinder Manchanda**

- (i) 
- (ii) 
- (iii) 

Yours faithfully,

  
(RAVINDER MANCHANDA)  
SECRETARY GENERAL

Samajwadi Janata Party (Rashtriya)  
Narendra Niketan, I.P. Estate,  
New Delhi - 110 002

Place: New Delhi      Samajwadi Janata Party (Rashtriya)  
Date: -28/03/14      Narendra Niketan, I. P. Estate,  
New Delhi-110002

(Seal of the Party)

NB:


1. This must be delivered to the Returning Officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nomination.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.

ज्ञापक संख्या ..... 47 ..... दिनांक 05/04/2014.

आज 11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर से प्रतीक आवंटन के संबंध में सूचना प्राप्त हुआ।

स्थान ..... कटिहार .....

दिनांक ..... 05/04/2014.

  
अभ्यर्थी या प्रस्थापक के हस्ताक्षर



## Check List of Documents in Connection with filing of nomination

Name of Constituency Il. Kotihar  
 Name of the candidate Md. Iqbal Ahmed  
 Date and time of filing nomination paper 05/04/2014  
 Sl. No. Of nomination Paper 37

Sl. No.	Documents	Whether filed (write yes/no (if there is any defect/short coming in the documents, the same should be specified)
1	Affidavit in form 26 (a) Whether all columns are filled up (b) If not, which are blank column (s) [Please specify]. (c) Whether the affidavit is sworn before an oath commissioner or Magistrate of First Class or before a notary Public.	yes. yes. N/A. yes.
2	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency)	yes.
3	Forms A and B (applicable in the case of candidates set up by political parties.)	yes.
4	Copy of caste certificate from competent authority (if the candidate claims to belong to SC/ST)	N/A.
5	Security deposit (whether made)	yes.
6	Oath/affirmation (Whether taken)	yes.

The Following documents which have not been filed should be filed as indicated below :

- (a) ..... Should be filed latest by .....
- (b) Above mentioned columns in the affidavit in form 26 have been left blank. You must submit a fresh affidavit with columns duly filled up before the commencement of scrutiny of nominations, failing which the nomination paper will be liable to be rejected.
- (c) ..... should be filed latest by .....

Received.

Md. Iqbal Ahmed  
 (Signature of Candidate)

05/4/14  
 Assistant Returning Officer  
 Signature of RO/ARO

(Signature)

Date & Time : 5/4/14

Place Kotihar

N.B.

- The Affidavit in Form 26 and Form A&B have to be filed latest by 3.00 P.M. on the last date of filing nominations.
- The nomination paper will be rejected if a candidate fails to fill the blanks in Form 26 even after reminder by RO by the hour fixed for scrutiny of nomination paper.
- Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.
- certified extract of electoral roll can be filed up to the time of scrutiny.
- Security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing notice for making the security deposit.
- If the columns in the affidavit are blank and incomplete the candidate should file an affidavit complete in all respects instead of filing an affidavit in respect of only the blank columns and the second affidavit which be the complete one will be disseminated through the web site.

कार्यालय, निर्वाची पदाधिकारी,  
11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कटिहार

ज्ञापानक ५४ / ना.नि.को. दिनांक १५/५/१५

प्रेषित : मो० इकबाल अहमद,

अभ्यर्थी, 11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,

बजरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार नाम निर्देशन पत्र के साथ बैंक खाता संख्या आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो आवश्यक है।

अतः आज ही बैंक खाता संख्या कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मो० इकबाल अहमद

१५/५/१५  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,  
11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
-सह-  
निर्वाची पदाधिकारी, कटिहार

Assistant Returning Officer  
11-Katihar-P.C.